भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 994

सोमवार, 29 जुलाई, 2024 / 7 श्रावण, 1946 (शक)

बीड़ी श्रमिकों हेतु रोजगार के वैकल्पिक अवसर

994. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योग पर आसन्न प्रतिबंधों को देखते हुए, बीड़ी श्रमिकों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए विचार की जा रही रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में बीड़ी श्रमिकों के संबंध में कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बीड़ी श्रमिकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने बीड़ी श्रमिको की आजीविका सुरक्षित रखते हुए, उनके लिए सुचारू परिवर्तन हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएल एंड ई) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान कुल 7262 और 2746 बीड़ी कामगारों को क्रमश: प्रशिक्षित और वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया गया। देश में 49,82,294 पंजीकृत बीड़ी कामगार हैं।

(ग) और (घ): बीड़ी कामगारों के आश्रितों की शिक्षा के लिए कक्षा-I से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तक कक्षा के अनुसार 1000/- रु. से 25,000/- रु. प्रति छात्र प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में बीड़ी/सिने/गैर-कोयला खान कामगारों के कुल 96051 आश्रित बच्चों ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (डीबीटी-एपीबी) भुगतान प्रणाली के माध्यम से 30.68 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

मंत्रालय ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से बीड़ी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लाभ के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सुलभता सुसाध्य बना रहा है।

*****